फा.सं. 9(7)/2023-रक्षा (रा.भा.1)
रक्षा मंत्रालय
राजभाषा प्रभाग

सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 04.07.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए जांच-बिंदुओं का निर्धारण/पुनर्परिचालन ।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार जांच-बिंदुओं को निर्धारित करना तथा परिचालित करना अपेक्षित है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उनके अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिंदु स्थापित करके उन जांच-बिंदुओं के अनुपालन को कारगर ढंग से सुनिश्चित करे। रक्षा मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा एतद्संबंधी नियमों/आदेशों के सम्यक अनुपालन के लिए जांच-बिंदुओं को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	विषय	अपेक्षित कार्रवाई	जांच-बिंदु
1	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना।	संबंधित अनुभागों द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य आदेश, संविदाएं, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, प्रपत्र, नोटिस, संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियां, नियम, अधिसूचनाएं, और संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) जारी किए जाएं।	जारी करने वाला अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ राजभाषा प्रभाग (अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए)
2	नियमावली, कोड, मैनुअल, फाइल, फोल्डर, फार्म, रजिस्टर आदि के शीर्षकों का द्विभाषी प्रकाशन।	इस विषय के अंतर्गत वर्णित प्रकाशनों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में तैयार किया जाए।	सामान्य प्रशासन अनुभाग
3	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना।	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 को ध्यान में रखते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।	सभी अनुभाग/पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
4	कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराना।	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों कम्प्यूटर आदि की खरीद शत-प्रतिशत द्विभाषी सुविधा के साथ ही की जाए। कार्यालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में हिंदी में टाइपिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को संस्थापित किया जाए।	आईटी अनुभाग/सामान्य प्रशासन अनुभाग

16	कार्यशालाओं का आयोजन।	हर तिमाही कार्यशाला आयोजित किया जाना।	राजभाषा प्रभाग

2. अनुरोध है सभी अधिकारी/कर्मचारीगण निर्धारित जांच-बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें।

देवेन्द्र कुमार राय

(देवेन्द्र कुमार राय)

संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा विभाग

प्रति प्रेषितः-

1. रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण।
2. रक्षा (स्थापना-1/ग्रुप-1), रक्षा (स्थापना-1/ग्रुप-2)
3. सामान्य प्रशासन अनुभाग, आईटी सेल, रक्षा पुस्तकालय, राजभाषा प्रभाग

सूचनार्थ प्रेषितः-

1. सचिव, रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रधान निजी सचिव।
2. विशेष सचिव, रक्षा विभाग के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर सचिव, रक्षा विभाग के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिवगण के प्रधान निजी सचिव।